


उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर माण्डल

145
21

पत्रावली पेश हुई वकील प्राथमिक उपस्थित, विपक्षी
गण के सम्मन बाद तामिल होकर रजि. एडी से
प्राप्त हुए जिसे शा. प. छिये बाये। विपक्षीगण को
कितनी बार कक-कक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद
भी उपस्थित नहीं। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही छिये
जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्राथमिक का प्रा. प.
स्वीकार किया जाकर निर्णय प्रत्येक से लिखा जाकर शा. प.
प. छिया बाये। पत्रावली फल शुमार होकर नम्बर
से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल



उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

मनोज, आर.ए.एस.

54/24 प्रा.पत्र

510 बंशीलाल रेगर निवासी-बागौर तहसील-माण्डल (कौरा)

प्रार्थी

बनाम

धिसू 50 श्री तरदा फीर निवासी-बागौर तहसील-माण्डल (कौरा)
(संबन्धित प्रा.पत्र संख्या)

विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 14-5-24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बागौर पटवार हल्का बागौर 1 तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 1614, 668, 605, 606, 606/1 कुल कित्ता 0.5 रकबा 1.6819 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आधे दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19-4-24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बागौर पटवार हल्का बागौर 1 तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 1614, 668, 605, 606, 606/1 कुल कित्ता 0.5 रकबा 1.6819 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बागौर को 700 रुपये / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल